भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1867
गुरूवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

देश में बेरोजगारी दर

1867. **डा. अमी याज्ञिकः**
श्री सैयद नासिर हुसैनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी दर कितनी रही है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सृजित रोजगारों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं के भरण-पोषण के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार दर्शाती अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार है:

वर्ष	यूआर (%)	डब्ल्यूपीआर (%)
2019-20	4.8	50.9
2020-21	4.2	52.6
2021-22	4.1	52.9

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है और कामगार जनसंख्या अनुपात (अर्थात रोजगार) में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता शर्तों के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपना रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही कोविड-19 के कारण रोजगार खो चुके बीमित कामगारों को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

*****